(उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के नियम [illegible] के अन्तर्गत)

राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार का प्रारूप

राजस्व ग्राम [illegible] परगना [illegible] पुलिस स्टेशन [illegible] तहसील– [illegible]

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान प्रविष्टि का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	[illegible]	[illegible] 13 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	→ 13/2026
ग्रामीण विवरण/ग्रामीण [illegible] दिनांक [illegible] के अभिलेखानुसार विवरण त्रुटि किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण [illegible] राजस्व [illegible] अधिनियम [illegible] के [illegible] राजस्व अधिकारी [illegible] के समक्ष सादर प्रस्तुत है।				अभिलेख राजस्व रिकॉर्ड के विवरण किया गया। रिकॉर्ड [illegible] पूर्ण है। सत्यापनानुसार खाते में त्रुटि किया जाना उचित है।	राजस्व [illegible] मौके पर [illegible] रिकॉर्ड व अभिलेख रिकॉर्ड के विवरण के आधार पर सत्यापनानुसार त्रुटि किया जाना उचित है। प्रकरण [illegible] के [illegible] राजस्व अधिकारी [illegible] के समक्ष सादर प्रेषित है।	राजस्व [illegible] राजस्व अधिकारी [illegible] रिकॉर्ड व अभिलेख रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापनानुसार त्रुटिकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। मूल [illegible] में अमल किया जाये।
दिनांक [illegible]				दिनांक [illegible]		
लेखपाल [illegible]				राजस्व निरीक्षक [illegible]	उप राजस्व अधिकारी	मुख्य राजस्व अधिकारी [illegible]